राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।

क्रमांकः प.2(6547)निचिस्वा/विधि/2017/ 472 दिनांकः 13-9-2017

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0)
कोटा एवं केस प्रभारी अधिकारी।

विषयः—जिला कोटा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम नर्स ग्रेड–2 एवं असिस्टेंट संविदा कर्मियों की तुरन्त प्रभाव से सेवा समाप्ति/ भुगतान बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांक **आई.डी.1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 जयपुर दिनांक 13.09.2017 (की प्रति संलग्न)** के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका दायर की जाने की संभावना होने से प्रकरण के संबध में राजकीय अधिवक्ता श्री संजय कुमार शर्मा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से संपर्क कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में राज्यपक्ष की ओर से केवियट दायर करवाने की कार्यवाही, सुनिश्चित करावे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

13.9.17

निदेशक (जन0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः प.2(6547)निचिस्वा/विधि/2017/ 472 दिनांकः 13-9-17

प्रतिलिपिः:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग को उनके आदेश कमांक **आई.डी.1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 जयपुर दिनांक 13.09.2017 के कम मे।**
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय ।
3. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन–कोटा को सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांक **आई.डी. 1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 जयपुर दिनांक 13.09.2017** की प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि प्रकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी केस को शीघ्र उपलब्ध करावें।
3. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांक **आई.डी.1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 जयपुर दिनांक 13.09.2017** की प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि प्रकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी केस को शीघ्र उपलब्ध करावें।
4. डॉ0 घनश्याम बैरवा, सयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एवं स्टेण्डिग केस प्रभारी अधिकारी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांक **आई.डी.1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 जयपुर दिनांक 13.09.2017 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि आप प्रभारी अधिकारी केस एवं राजकीय अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करावे।**
6. **श्री राजकुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–प्रथम , विधि अनुभाग मुख्यालय।**
7. श्री संजय कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबधित को ई–मेल करावे।

13.9.17

निदेशक (जन0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर

क्रमांक :–आई.डी. 1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 जयपुर दिनांक : 13 SEP 2017

निदेशक (जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–जिला कोटा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम नर्स ग्रेड–द्वितीय एवं असिस्टेन्ट संविदा कर्मियों की तुरन्त प्रभाव से सेवा समाप्ति/भुगतान बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कोटा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से रखे जाने के आधार पर कार्मिकों की आवश्यकता जाहिर करते हुये, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से 124 नर्स–2 (संलग्न सूचीबद्ध), एवं 5 हैल्थ असिस्टेन्ट को बिना सक्षम स्वीकृति, समुचित बजट प्रावधान व विहित प्रकिया का पालना किये बिना ही अनुबंध/संविदा के आधार पर लगाकर कार्य करवाया गया। इन सभी संविदा कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने की कार्यवाही की जावे तथा संविदा कार्मिकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर देय पारिश्रमिक नर्स ग्रेड–द्वितीय को रूपये 7900/– प्रतिमाह से अनधिक एवं हैल्थ असिस्टेन्ट को न्यूनतम मजदूरी की दर सहित एवं एक माह के नोटिस अवधि के एवज में एक माह का अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान किया जावे। यह कार्यवाही सक्षम स्तर (प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) से अनुमोदित है।

चूंकि प्रकरण में पूर्व में ही राज्य सरकार पर अनावश्यक भार उत्पन्न हो चुका है। अतः इन संविदा कर्मियों की सेवाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने के संबंध में विभाग की मांग के अनुसार राशि रूपये 71.00 लाख (अक्षरे राशि रूपये इकहत्तर लाख मात्र) का भुगतान बजट मद 2210–06–101–01–00–41 संविदा व्यय में से उपलब्ध प्रावधान से किये जाने पर स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. अनियमित राशि के भुगतान के संबंध में दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राशि उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जावे।
2. इस प्रकार के प्रकरणों की किसी अन्य स्तर पर पुनरावृत्ति न हो इस हेतु समुचित निर्देश सक्षम स्तर से जारी किये जायें।
3. उक्त स्वीकृति इन संविदा कर्मियों को लगाये जाने की संख्या तथा देय मासिक अथवा दैनिक भुगतान के संबंध में प्रदत्त नहीं की जा रही है। देय भुगतान का निर्णय विभाग के स्तर से नियमानुसार किया जावे। उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के दायित्व में और अधिक वृद्धि न हो, को दृष्टिगत रखते हुये प्रदान की जा रही है।
4. प्रकरण में विधि संबंधी प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे ताकि कार्मिकों को न्यायालय से बिना विभाग की सुनवाई के राहत प्राप्त नहीं हो सके।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101704766 दिनांक 11.09.17 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव

लगातार.........2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि एनएचएम में पिछले वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के खाली पदो के विरूद्ध बचत की राशि में से नियमानुसार रूपये 70.00 लाख (अक्षरे रूपये सत्तर लाख मात्र) के भुगतान की स्वीकृति जारी करावें।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, रामगंज मंडी से राशि रूपये 13.57 लाख (अक्षरे रूपये तेरह लाख सत्तावन हजार मात्र) तथा केथून से 2.39 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख उणतालीस हजार मात्र) की नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति जारी करावें तथा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कोटा एवं दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाते हुये अवगत कराये। अनियमित भुगतान राशि की वसूली, उत्तरदायी अधिकारीयों / कर्मचारीयों से करवाना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक (वित्त) एनएचएम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को भुगतान हेतु राशि 70.00 लाख (अक्षरे रूपये सत्तर लाख मात्र) उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
6. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
8. उप विधि परामर्शी मुख्यालय को आदेश दिनांक 12.09.17 की प्रति मय संलग्न सूची (124 नर्स–2 एवं 5 हैल्थ असिस्टेंट) भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिनांक 14.09.17 तक माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विभाग की ओर से केवियट दायर करावें ताकि विभाग का पक्ष सुने बिना एक पक्षीय निर्णय पारित न हो सके।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–कोटा को भेजकर लेख है कि अनियमित राशि के भुगतान के सबंध में दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राशि उनसे वसूल करने की कार्यवाही करावें।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को भेजकर लेख है कि भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि कार्मिकों को उनके द्वारा किये गये कार्य दिवसों के अनुसार ही भुगतान किया गया है तथा संलग्न सूची जो कि आपके द्वारा ही प्रेषित की गई थी, के आधार पर आदेश में संलग्न की गयी है, को पुनः जॉच कर ही भुगतान करते हुये नियत तिथि से पूर्व सेवाये समाप्त कर अवगत कराये।
11. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के ई.मेल पर भी भिजवावें।
12. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त 124 जीएनएम की सूची		
क्र0स0	**नाम कार्यरत संविदाकर्मी**	**पदनाम**
1	धीरज मीणा	नर्स 2
2	मोहम्मद जुबेद शेख	नर्स 2
3	साबिर हुसैन	नर्स 2
4	फिरोज खान	नर्स 2
5	सखावत हुसैन	नर्स 2
6	मोहम्मद आवेश खान	नर्स 2
7	गुलशन सोन	नर्स 2
8	महेश कुमार महावर	नर्स 2
9	पारस कुमारी	नर्स 2
10	गुरप्रीत कौर	नर्स 2
11	मोनिका पारेता	नर्स 2
12	नीता सुमन	नर्स 2
13	नरेन्द्र कुमार वर्मा	नर्स 2
14	रेशमा खान	नर्स 2
15	मुकेश कुमार नागर	नर्स 2
16	ज्योति कुमारी	नर्स 2
17	वन्दना माली	नर्स 2
18	विवेकानन्द तिवारी	नर्स 2
19	रामनरेश नागर	नर्स 2
20	रवि योग	नर्स 2
21	विमल कुमार	नर्स 2
22	जैसमीन मेलकोन	नर्स 2
23	अब्दुल खलिक	नर्स 2
24	मोहम्मद मोसीन	नर्स 2
25	दिनेश कुमार मेघवाल	नर्स 2
26	महेन्द्र कुमार बैरवा	नर्स 2
27	राजकुमार मीणा	नर्स 2
28	गौरी शंकर मीणा	नर्स 2
29	सत्यनारायण	नर्स 2
30	अशोक कुमार बैरवा	नर्स 2
31	जितेन्द्र पुरी गोस्वामी	नर्स 2
32	अर्चना चौधरी	नर्स 2
33	विनोद कुमार ढोडरिया	नर्स 2
34	परमानन्द मीणा	नर्स 2

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त 124 जीएनएम की सूची		
क्र0स0	**नाम कार्यरत संविदाकर्मी**	**पदनाम**
35	मनीष गालव	नर्स 2
36	विशाल मेवाड़ा	नर्स 2
37	गौरवचिता	नर्स 2
38	हरिओम मण्डावत	नर्स 2
39	भंवर सिंह हाड़ा	नर्स 2
40	शैलेश कुमार मीणा	नर्स 2
41	अनिल कुमार	नर्स 2
42	अर्जुन सिंह हाड़ा	नर्स 2
43	गौरव गालव	नर्स 2
44	गजेन्द्र कुमार शर्मा	नर्स 2
45	देवेन्द्र सिंह.	नर्स 2
46	कमल कुमार वर्मा	नर्स 2
47	सुल्तानहक	नर्स 2
48	मोहम्मद जुनेद आलम	नर्स 2
49	मोहम्मद सददाम	नर्स 2
50	महेश कुमार मेहरा	नर्स 2
51	कासिफ जकी	नर्स 2
52	रशीद मोहम्मद	नर्स 2
53	बन्टी बागड़ी	नर्स 2
54	सौरभ मीणा	नर्स 2
55	लोकेश कुमार प्रजापत	नर्स 2
56	मोहम्द इरफान	नर्स 2
57	महेन्द्र मीणा	नर्स 2
58	अरविन्द आर्य	नर्स 2
59	चन्द्रप्रकाश	नर्स 2
60	राजकुमार पारासर	नर्स 2
61	जसवन्त बैरवा	नर्स 2
62	संगीत	नर्स 2
63	लवप्रीत	नर्स 2
64	मोहम्मद सादिक	नर्स 2
65	रामजीत मीणा	नर्स 2
66	त्रिभुवन नागर	नर्स 2
67	जयप्रकाश	नर्स 2
68	सचिन सैनी	नर्स 2

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त 124 जीएनएम की सूची		
क्र0स0	**नाम कार्यरत संविदाकर्मी**	**पदनाम**
69	राजेन्द्र सामरिया	नर्स 2
70	भगवती प्रताप सोनी	नर्स 2
71	श्रीकान्त वैष्णव	नर्स 2
72	धर्मसिंह बैरवा	नर्स 2
73	हेमन्त कुमार सुमन	नर्स 2
74	आशीष नामा	नर्स 2
75	रमाकान्त आर्य	नर्स 2
76	मनीष गौतम	नर्स 2
77	मिर्जा वसीम अकरम	नर्स 2
78	जसवंत नागर	नर्स 2
79	रामकिशन नागर	नर्स 2
80	टिंकल सोनी	नर्स 2
81	भुवनेश दाधीच	नर्स 2
82	चंचल	नर्स 2
83	मनीष राठौर	नर्स 2
84	दिलीप मीणा	नर्स 2
85	श्रीकान्त एस. पिल्लई	नर्स 2
86	कैलाशचन्द बैरवा	नर्स 2
87	अनिल कुमार मरमठ	नर्स 2
88	राजेन्द्र सुमन	नर्स 2
89	मन्जू सैन	नर्स 2
90	कमला शंकर कुमार	नर्स 2
91	राकेश गौचर	नर्स 2
92	रीता सक्सेना	नर्स 2
93	मोहम्मद अजरूद्दीन	नर्स 2
94	हेमन्त कुमार बैरवा	नर्स 2
95	पवन कुमार खण्डेलवाल	नर्स 2
96	मुकेश सैनी	नर्स 2
97	मोविना	नर्स 2
98	परमेश कुमार बागड़ी	नर्स 2
99	मोहम्मद मकसुद	नर्स 2
100	मोहम्मद तारीफ खान	नर्स 2
101	मोहन लाल मीणा	नर्स 2
102	रामचन्द्र मीणा	नर्स 2

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त 124 जीएनएम की सूची		
क्र0स0	नाम कार्यरत संविदाकर्मी	पदनाम
103	तृप्ति शर्मा	नर्स 2
104	आशीष बैरवा	नर्स 2
105	विपिन जोजफ	नर्स 2
106	ओमप्रकाश मीणा	नर्स 2
107	राकेश कुमार वर्मा	नर्स 2
108	शेख शहीद अली	नर्स 2
109	सरीता मीणा	नर्स 2
110	दिनेश मीणा	नर्स 2
111	शाहीद हुसैन	नर्स 2
112	हरीश शर्मा	नर्स 2
113	लोकेन्द्र सिंह तेजाला	नर्स 2
114	हेमराज सिंह	नर्स 2
115	सुनील कुमार मीणा	नर्स 2
116	सीमा कुमारी	नर्स 2
117	आवेश खान	नर्स 2
118	नीरज नागर	नर्स 2
119	मोहम्मद तारीफ खान	नर्स 2
120	मोहम्मद जुबेर शेख	नर्स 2
121	करण सिंह आसावत	नर्स 2
122	नितेश अधिकारी	नर्स 2
123	नरेन्द्र शाक्यवाल	नर्स 2
124	अमित कुमार वर्मा	नर्स 2

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त 05 हैल्थ 'असिस्टेंट की सूची

क्र0स0	नाम कार्यरत संविदाकर्मी	पदनाम
1	चेतन पंवार	हैल्थ असिस्टेंट
2	शबनम बानो	हैल्थ असिस्टेंट
3	आशा कुमारी	हैल्थ असिस्टेंट
4	अमित कुमार	हैल्थ असिस्टेंट
5	सरोज वैरागी	हैल्थ असिस्टेंट